फोरवा आदि — भागीरथ आदि अ.नं. 11/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19.2.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. आज्ञा वकील। दिनांक 5.3.25 को पेश हो। [signature]	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5.3.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2.4.25 को पेश होवे।	
2.4.25	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4.4.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
4.4.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट.....स्वीकार..... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 11/2022

1 पोखर आयु 72 साल करीब
2 गीदा आयु 62 साल करीब पुत्रगण स्व. रामू जाति जाट निवासी ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस/प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2

बनाम

1 भागीरथ पुत्र पेमा
2 छोटेलाल मृत
2/1 मनकोरी पत्नी स्व. छोटेलाल
2/2 रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. छोटेलाल
2/3 सरोज
2/4 सुभिता पुत्रियां स्व. छोटेलाल
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट/वादीगण/प्रार्थीगण

3 जगन पुत्र धन्नाराम
4 नेमीचन्द मृत
4/1 उपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नेमीचन्द
4/2 श्रीमती विमला पत्नी स्व. नेमीचन्द
4/3 विनीता पुत्री स्व. नेमीचन्द
5 प्यारेलाल पुत्र धन्नाराम
6 फूलचन्द पुत्र स्व. सुल्तान
7 नाथी पत्नी स्व. सुलतान
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
8 एक्सीस बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ सीकर जरिये शाखा प्रबंधक
9 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा लक्ष्मणगढ़ सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।
10 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.01.2022 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ प्रकरण शीर्षकीय भागीरथ
आदि बनाम पोखर आदि मु.नं. 175/2016 विविध

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 175/2016 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम कन्टेवा पटवार हल्का हमीरपुरा की तन में आराजी खसरा नम्बर 223, खसरा नम्बर 224, खसरा नम्बर 258, खसरा नम्बर 259, खसरा नम्बर 260, खसरा नम्बर 379 एवं खसरा नम्बर 380 कुल क्षेत्रफल 16.10 है. (पुराना खसरा नम्बर 130, 159, 160, 161 व 217) अवस्थित है। उक्त आराजीयात के संबंध में रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में एक वाद उद्घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतू प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 आर.टी.एक्ट. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वाद व टी.आई. प्रार्थना पत्र का अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा संयुक्त जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 05.09.2019 के द्वारा अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया गया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 217 ग्राम कन्टेवा की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। टी.आई. पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलवाद के संलग्न करने का आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित कर दिया गया। अचानक दिनांक 04.01.2022 को वादीगण/रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से विचारण न्यायालय में एक आवेदन पेश किया गया कि विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने व आपस में हक परित्याग करने की हद तक स्थगन आदेश प्रभावी नहीं रहने बाबत आदेश किया जावे। इस आवेदन पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा उसी दिवस चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर मूलआदेश दिनांकित 05.09.2019 में मनमानी पूर्ण रूप से संसोधन कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश मनमानी पूर्ण, अवैध व अनुचित होने के साथ–साथ ही प्रकियात्मक विधि के विरूद्ध होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है। जब विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई, तब उस स्थिति में विचारण न्यायालय को इस प्रकार का आदेश पारित करने व एकपक्षीय रूप से मनमानीपूर्ण रूप से संशोधित करने की कोई विधिक क्षेत्राधिकारिता नहीं थी, परन्तु फिर भी इस प्रकार का आदेश अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक़पक्षीय रूप में पारित कर दिया गया जो आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। चुनौतीग्रस्त आदेश प्राकृतिक न्याय नियमों के पूर्णतया विपरित है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने पूर्व आदेश में संसोधन कर अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वाद निर्णय तक प्रतिबन्धित किया गया कि वे रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण में संयोजित शेष पक्षकारान तहसीलदार आदि को स्थगन से मुक्त रखा गया, जिसका कोई कारण चुनौतीग्रस्त आदेश में नहीं दिया गया। अपीलार्थी कैसे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रख सकेंगे, यह तथ्य सामान्य समझ से परे है। रिकोर्ड का संधारण तहसीलदार के नियंत्रण में रहता है परन्तु चुनौतीग्रस्त आदेश में उन्हें स्थगन से मुक्त रखा गया है। ऐसी स्थिति में भी चुनौतीग्रस्त आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। चुनौतीग्रस्त आदेश एकपक्षीय होने के साथ–साथ नॉन–स्पीकिंग है तथा कारण सहित भी नहीं है। साक्ष्य व न्याय का सिद्धान्त है कि वाद निर्णय तक उभयपक्ष को ही प्रतिबंधित किया जावे, जिससे कि कोई पक्ष न्याय पर अध्यारोही नहीं हो सके और दौराने दावा स्थिति में बदलाव नहीं आ सके। सुयोग्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण स्थिति को अनदेखा किया गया और केवल अपीलार्थीगण को प्रतिबन्धित कर दिया गया। इस प्रकार चुनौतीग्रस्त आदेश न्याय नियमों के विरूद्ध भी है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 05.09.2019 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पुष्ट करते हुए ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के लिए पाबंद कर दिया। इस पर प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उनके द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय ने सभी अप्रार्थीगण को पाबंद कर विधिक त्रुटि की है। अतः आदेश दिनांक 05.09.2019 संसोधित किया जावें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर सुनवाई के उपरांत विचाराधीन निर्णय से आंशिक संसोधन कर दिनांक 05.09.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रतिबंधित रखते हुए शेष पक्षकारान को स्थगन से मुक्त कर दिया। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 05.09.2019 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पुष्ट करते हुए ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के लिए पाबंद कर दिया। इस पर प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उनके द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय ने सभी अप्रार्थीगण को पाबंद कर विधिक त्रुटि की है। अतः आदेश दिनांक 05.09.2019 संसोधित किया जावें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर सुनवाई के उपरांत विचाराधीन निर्णय से आंशिक संसोधन कर दिनांक 05.09.2019 को जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अस्थाई निषेधाज्ञा से केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रतिबंधित रखते हुए शेष पक्षकारान को स्थगन से मुक्त कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भूमिधारी जो स्थगन की पालना सुनिश्चित करवाता है उसको भी विचाराधीन स्थगन से मुक्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर